(a) whether Government propose to bring about certain amendments as to child labour abuse such as the banning the use of child labour in carpet factories, as demanded by the International Community ; and

(b) whether in this context the rampant abuse of child labour in beedi industry and the fire works and match factories, which continues despite provisions of law, is also proposed to be more effectively prevented ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) Child Labour in the Carpet Weaving Industry is already prohibited under Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986.

(b) Yes, Sir.

Setting up of an infrastructure development fund

4357. SHRI IQBAL SINGH : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up an infrastructure development fund for reconstruction of bridges, culverts, schools and hospital buildings blown off by the terrorists in the Jammu and Kashmir ; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Plan Allocation for Rural Development, Social Welfare and Women & Child Development Programme

4358. SHRI S. S. SURJEWALA : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) how much amount has been allocated to the various States and particularly Haryana under the head Rural Development, Social Welfare, Women and Child Development Programme during the year 1991-92, 1992-93 and 1993-94;

(b) how much of the amount has been utilised/unutilised under the above heads during the said period ; and

(c) what is the formula of allocation for the above mentioned schemes ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) and (b) State's approved/actual expenditure/revised outlay for Annual Plan 1991-92, 1992-93 and 1993-94 under the heads Rural Development and Social Welfare including Women and Child Development Programme are given in Annexure containing Table I and II. [*See* Appendix 170 Annexure No. 83].

(c) Sectoral allocations are decided by the Planning Commission in consultation with the State Governments during the Annual Plan discussions.

उत्तर प्रदेश के लिए विकास आयोग का गठन

4359. **श्री ईशदत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक विकास आयोग का गठन करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विकास आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है; किसी राज्य में किसी क्षेत्र विशेष का विकास करना संबंधित राज्य सरकार का उत्तर-दायित्व है । तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्वी भाग में चुनींदा विकास परियोजनाओं के वित्त-पोषण हेतु वर्ष 1990-91 से पूर्वांचल विकास निधि नामक निधि निकाय की स्थापना की है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों के लिए विनिर्धारित धनराशि

4360. **श्री शंकर दयाल मंत्री : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन राज्यों के लिए कितनी-कितनी राशि विनिर्धारित की गई है;

(ख) उन राज्यों का इस राशि में योगदान कितना है;

(ग) क्या सभी राज्यों ने अपने कोटे की राशि की व्यवस्था कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के लिए ऐसी कोई राशि विनिर्धारित नहीं है । तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1991-92 की कीमतों पर प्रत्येक राज्य के लिए परिव्यय स्वीकृत किया गया है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों के लिए स्वीकृत परिव्ययों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । (नीचे देखिए इन परिव्ययों को विवरण II में दर्शाया गया है तथा इन्हें राज्यों के अपने संसाधनों के योगदान द्वारा वित्तपोषित किया जाता है । चूंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना के केवल दो वर्ष ही बीते है, यह निर्दिष्ट करना असामयिक है कि क्या उल्लिखित सीमा तक राज्यों द्वारा संसाधनों के योगदान को प्राप्त किए जाने की सम्भावनाएं हैं ।

विवरण I

आठवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय में राज्यों के संसाधनों का योगदान

(1991-92 कीमतों पर)
(रु० करोड़ में)

संसाधन	राज्य
1 चालू राजस्वों से अधिशेष (बी०सी० आर०)	12985
2. सार्वजनिक उद्यमों का योगदान	4000
3. उधार तथा विविध (निवल) पूंजीगत प्राप्तियां (एस० सी० आर०	84500
जोड़ I (1 से 3 तक)	101485
राज्य संसाधनों का पूर्ण योग (1+2+3)	101485

विवरण II

आठवीं योजना (1992—97)—स्वीकृत परिव्यय

(1991-92 की कीमतों पर)
(रु० करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य	आठवीं योजना (1992–97) स्वीकृत परिव्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	10500
2.	अरुणाचल प्रदेश	1155
3.	असम	4662
4.	बिहार	13000
5.	गोवा	761
6.	गुजरात	11500
7.	हरियाणा	5700
8.	हिमाचल प्रदेश	2502
9.	जम्मू व कश्मीर	4000
10.	कर्नाटक	12300
11.	केरल	5460
12.	मध्य प्रदेश	11100
13.	महाराष्ट्र	18520
14.	मणिपुर	979
15.	मेघालय	1029
16.	मिजोरम	763
17.	नागालैंड	844
18.	उड़ीसा	10000
19.	पंजाब	6570
20.	राजस्थान	11500
21.	सिक्किम	550
22.	तमिलनाडु	10200
23.	त्रिपुरा	1130
24.	उत्तर प्रदेश	21000
25.	पश्चिम बंगाल	9760
	जोड़ (राज्य) :	175485

Housing Schemes for Weaker Sections in Rural Areas

4361. SHRI SATISH PRADHAN : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) what is the plan outlay for housing schemes for weaker sections in rural areas ;